कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्यं/मा–स/विविध/दिवस/2018/97 दिनांक: 18.06.2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषय :– दिनांक : 21 जून, 2019 को आयोजित होने वाले ''अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस'' के आयोजन के सम्बन्ध में सहभागिता बाबत्।

प्रसंग :– शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्रांक : पं.24(36)शिक्षा–6/2015/योग दिवस जयपुर, दिनांक: 14.06.2019 एवं विभाग के समसंख्यक पत्रांक : 29 दिनांक : 12.06.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक : 21 जून, 2019 को आयोजित होने वाले ''अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस'' के आयोजन के सम्बन्ध में विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक : 12.06.2019 की निरन्तरता में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण दिनांक : 03.06.2019 में दिए गए निर्देशानुसार शिक्षा विभाग से संबंधित बिन्दुओं की पालना निम्नानुसार एवं अजमेर में होने वाले राज्यस्तरीय कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सहयोग प्रदान करने बाबत् अधीनस्थ अधिकारियों/विद्यालयों को निर्देश प्रदान करें :–

01. राज्य की प्रत्येक राजकीय/निजी शिक्षण संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करें।
02. 21 जुन, 2019 को राजकीय/निजी विद्यालयों को खुला रखने के संबंध में यथोचित निर्देश जारी करावें।
03. राज्य, जिला, उपखण्ड स्तरीय मुख्यालयों पर समस्त राजकीय विद्यालयों के शारीरिक शिक्षकों को 21 जुन, 2019 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों में प्रशिक्षक के रूप में सहभाग एवं सहयोग हेतु आदेशित किया जावें।
04. विभाग के राज्य/जिला/उपखण्ड/पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करावें।
05. विद्यालयों के समस्त शारीरिक शिक्षकों को योग प्रशिक्षक हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिलाया जावें जिससे नियमित रूप से विद्यालयों में योग का आयोजन हो सके।
06. विद्यालयों में योग विषयक सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबन्ध व व्याख्यान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जावे।
07. प्रत्येक राजकीय/निजी शिक्षण संस्थाओं की जिला/उपखण्ड/पंचायत स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित की जावें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–6)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अति0 राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)

E:\Genral letter.docx

Scanned by CamScanner